

प्रारूप

मोटर वाहन अधिनियम - 1988 के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत बन्ध-पत्र

बुक क्रमांक 814 रसीद क्रमांक 40651
 उ०प्र० पुलिस/यातायात पुलिस
 वाहन स्वामी/स्वामिनी का नाम राजपूत कुमर पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जयसिंह
 निवासी/निवासिनी सि० २५ नं० टी० ए० रोड, बेलोनी गाँव, जिला उल्लंघन करने का स्थान से० ५५ गोल चक्कर
 थाना क्षेत्र से० ३९ गोलडा दिनांक 17/11/19 समय 12:10 वाहन संख्या HR-55-AB-3420
 वाहन की किस्म कार (स्पिड ब्रेकर) परमिट संख्या परमिट की वैधता
 ड्राइविंग लाईसेंस सं० लाईसेंस का प्रकार वैधता

अभियोग चलाने अथवा साक्ष्य देने का बन्ध - पत्र

मैं श्री/श्रीमती राजपूत कुमर पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जयसिंह
 निवास स्थान उफरोल जिला गजियाबाद का निवासी/निवासिनी हूँ
 इस लेख द्वारा वचन देता/देती हूँ कि आगामी दिनांक 2/2/19 समय 10 बजे प्रातः को कोर्ट में से० ६ के
 न्यायालय में उपस्थित होकर वहाँ अपने ऊपर लगाये गये मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन अभियोग के सम्बन्ध में उत्तर देने
 के लिये उपस्थित रहूँगा/रहूँगी और उपस्थित न होने पर मैं अपने को इस बात का बाध्य करता/करती हूँ कि न्यायालय द्वारा निर्धारित
 दण्ड/जुर्माना के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

वाहन चालक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वर्णित प्राविधानों/धाराओं का उल्लंघन किये जाने का विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	अपराध का विवरण	धारा
1-	<u>RC नहीं है।</u>	<u>Section 4</u>
2-		
3-		

उक्त बन्ध-पत्र के साथ चालानकर्ता अधिकारी
 द्वारा प्राप्त किये गये कागजात का विवरण

DL कागजात

उक्त बन्ध-पत्र/विवरण की एक प्रति प्राप्त की
 हस्ताक्षर मालिक/चालक [Signature]

चालानकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर [Signature]

नाम व पद नाम नवजीत सिंह (अधीन)

थाना (नियुक्ति स्थान) से० ३९ गोलडा

जनपद - गौतमबुद्धनगर

दिनांक 17/11/19